Vol 4 Issue 8 Feb 2015
ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 3.4052(UIF)
Volume-4 | Issue-8 | Feb-2015
Available online at www.aygrt.isrj.org

GRT

भारतीय महिलाएँ और घरेलू हिंसा

शकुन्तला जैन[1] , प्रभावती कोठारी[2]

[1]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग , शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम, म. प्र.
[2]सहायक प्राध्यापक, हिन्दी , शा. कन्या महाविद्यालय, झाबुआ, म.प्र.

सारांश : ''अबला जीवन, हलो, तुम्हारी यही कहानी ''
हँसती हुई दीखती हैं वे
हर ओर
टी.वी. में,
सारे मुख पृष्ठों / चौराहों पर
पिटकर भी निकली हों घर से
तो जाहिर नहीं होने देती।
नए जमाने का घूंघट
हँसी है शायद
सबके मुँह पर है यह –
एक नए ड्रेस कोड के तहत।'' 1.– कवयित्री अनामिका

प्रस्तावना :

नारी ईश्वर का वरदान हैं, उसे देवी माँ सरस्वती ने प्राण से प्रतिष्ठित किया गया। उसकी महत्ता को किसी भी समाज में नकारा नहीं जा सकता। सृष्टि के निर्माण में नारी का योगदान अमूल्य हैं। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचौफ ने 23 जून 1987 को मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था– ''रोटी, किताब और स्त्री जीवन ये तीन अनमोल रत्न हैं, रोटी हमें जीवनदान देती हैं, किताबें पीढ़ियों को जोड़ती हैं। महिलाएँ हमारे जीवन सूत्र को बांधकर रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें से किसी एक के बिना भी जिंदगी बेमानी हो जाती है। लेकिन विडम्बना यह है कि स्त्री को पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था में दोयम दर्जे का स्थान दिया गया है उसे तिरस्कृत व अपमानित किया जाता है फ्रांसीसी कथाकार सीमॉन द बोअवा के अनुसार– ''औरत होती नहीं, बनाई जाती है।'' आज ''औरत'' बनाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा तभी महिला सशक्त हो सकेगी महिला सशक्तीकरण अर्थात् महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। महिला सशक्तीकरण का अर्थ है– सामाजिक न्याय और समता महिला की समाज में एक स्वतंत्र पहचान हो घर और बाहर दोनों स्थानों पर उसे पुरुष के बराबर महत्त्व प्राप्त हो, लेकिन आधुनिक युग में महिला प्रत्येक स्तर पर शोषित हो रही है, वह पारिवारिक, सामाजिक तथा आपराधिक हिंसा का शिकार हो रही है। पारिवारिक दृष्टि से आकलन करें तो महिलाओं पर अत्याचार व उत्पीड़न जन्म से ही घर में प्रारंभ हो जाता है, घरेलू हिंसा अर्थात् घरेलू अत्याचार से है, जो महिलाओं पर घर में उनके घर के सदस्य माता–पिता, दादा–दादी, भाई–बहन, सास–ससुर, ननद–देवर व अन्य पारिवारिक सदस्यों एवं उनके निकट संबंधियों द्वारा किये जाते हैं। डॉ. बेली के अनुसार– ''महिला को शारीरिक, मानसिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आता है।''2

घरेलू हिंसा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

- महिला उत्पीड़न में घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति की गई हिंसा में प्रमुख हैं।
- स्त्रियों को मारना, भूखा रखना, कमरे में बंद रखना, काम का बोझ डालना, दहेज के लिये प्रताड़ित करना, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा है।
- घर में पारिवारिक सदस्य अपनी समस्याओं एवं मतभेदों को निपटाने के लिये हिंसात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं, कई घरों में

स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है।

❖ एक पति अपनी पुरुष सत्ता को बनाये रखने के लिये अपने अहम् को परिपुष्ट करने हेतु पत्नी पर मानसिक अत्याचार करता है।

❖ महिलाओं द्वारा ही महिलाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है बहू पर ससुर या ज्येष्ठ की अपेक्षा सास व ननद द्वारा अधिक अत्याचार किये जाते हैं। क्योंकि महिला अधिकांशतः अन्य महिलाओं के प्रति असहिष्णु होती है, परस्पर कोई भी रिश्ता हो कहीं न कहीं, कभी न कभी ईर्ष्या का भाव, प्रतियोगिता का भाव तथा तुलना का भाव आ ही जाता है। लड़के की सास तो दामाद की उन्नति की कामना करती है, किन्तु लड़की की सास की छवि अवश्य खराब है। वह आतंकमयी है और बहू निरीह प्राणी मानी जाती

❖ है।

❖ शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाएं अधिक घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

❖ ग्रामीण गृहणी नारी परिवार के ही रिश्तेदारों द्वारा वासना का शिकार होती है, तो ग्रामीण कामकाजी नारी खेतों, खलिहानों तथा साथ काम करने वो सहकर्मियों के उत्पीड़न का शिकार होती है। शहरी कामकाजी महिला कार्यालयों इत्यादि में काम करने वाली पुरुष वर्ग की अपेक्षा पक्षवसत तथा अनैतिक संबंधों की शिकार होती है।

❖ अत्याचार को महिला अपनी स्वाभाविक लज्जा, परिवार की मान प्रतिष्ठा के लिये, कलह से बचने के लिये, सामना करने में असमर्थ होने से चुपचाप सहन करती है, अतः उत्पीड़न को बढ़ाने में महिला भी कुछ हद तक स्वयं ही उत्तरदायी है।

❖ घरेलू हिंसा में कुछ महिलाओं का स्वयं का गर्म मिजाज, तार्किक अहंकारी स्वभाव भी उत्तरदायी है।

❖ उत्पीड़न के तौर तरीके तथा संख्या में कभी भले ही हो जाए पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती हैं।

वस्तुतः महिला को जीवन में किसी भी क्षेत्र में चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, या भावात्मक उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक हवाला देते हुए परिवार में प्रताड़ित करना संताप देना,ताने देना, शारीरिक यातना देना, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना, परेशान करना, नीचा दिखाना, हीन भावना रखना,पैर की जूती समझता, रखैल बनाकर रखना, अन्यत्र संबंध रखना, जुल्म रखना, अपमानित करना, बलात्कार करना, अपहरण करना, जला देना, अंग–भंग करना, अश्लील आचरण करना, सती प्रथा के दूसरे रूप में घुट घुट कर जीने के लिये या तिल तिल मरने के लिये क्षण–क्षण जलने के लिये बाध्य करना, बाल विवाह, दहेज, तलाक, भ्रूण हत्या, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की ऐसी जानकारियां दिखाना, टी.वी. के चैनलों की जानकारी दिखाना, महिला उत्पीड़न, शोषण, तथा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। पति का शराब पीकर पत्नी को मारना, पैसे की मांग करना, जुआ सट्टा खेलना, तम्बाखू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, बियर, अंग्रेजी शराब का सेवन करना, सतान के रूप में लड़कियों का ही जन्म होने पर लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या कराना, पत्नी के सुंदर नहीं होने पर या उसकी संतान के कम सुंदर होने पर प्रताड़ित करना, स्त्री का कम शिक्षित होना, सरकारी नौकरी न होना, पैसा कम कमाकर लाना, दहेज कम लाना, मानसिक यातना से शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना आदि स्थितियों के कारण घरेलू हिंसा होती हैं।

परिणामतः समाज में विघटन की स्थितियां निर्मित होती हैं– हत्याएं होती हैं, अपहरण, चोरी, लूटटपाट होती हैं, जिनमें महिलाएं भी कुछ हद तक शामिल होती है।, अत्याचार तथा अपराध बढ़ते हैं, पापाचार बढ़ता है, नैतिकता का स्तर घटता है और धार्मिक आस्थाएं डगमगा जाती हैं। आज दहेज हत्या, दहेज मृत्यु निरंतर बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं पर घरेलू हिंसा आज भी नारी है बस तरीके बदल गये हैं – आर्थिक व सामाजिक स्टेट्स को बनाए रखने के लिये प्रिन्ट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया (मोबाईल, विडियो कैसेट, वी.सी.आर., कम्प्यूटर, इंटरनेट, सिनेमा, रेडियो द्वारा) उत्पीड़ित किया जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में विविध तरीकों से घरेलू हिंसा आज भी जारी है।

घरेलू हिंसा की शिकार, दोहरे दायित्वों से जूझती भारतीय नारी के समक्ष कई चुनौतियां हैं–

• आधुनिकता की चकाचौंध में महिलाएं फंसती जा रही हैं, पश्चिमी सभ्यता उस पर हावी हो रही हैं।
• उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन से अधिक आर्थिक लाभ।
• सौन्दर्य प्रतियोगिता मॉडल का प्रदर्शन से मानवीय संवेदना का क्षीण होना।
• इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट में उभरती महिला की शर्मसार तस्वीर, नंगे प्रदर्शन, देह प्रदूषण संस्कृति इत्यादि।
• महिला सबसे सस्ती मजदूर व बाजार में बिकने वाली चीज़।
• परिवार नियोजन के नये साधन, परिणामतः लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या, कॉलगर्ल, वेश्यावृत्ति।
• वर्तमान स्थिति कुछ क्षेत्रों में सामान्ती युग से भी बदतर दिन रात खटना एवं परिवार का पोषण ही जिन्दगी का मकसद बन जाना।
• घरेलू हिंसा प्रायः अदृश्य होती हैं, सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की जाती, जिससे महिला हीनभावना की शिकार तथा मनोरोगी हो जाना ।
• प्रत्येक 100 पुरूषों को 44 स्त्रियां ही साक्षर राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 7 तथ 2 प्रतिशत।
• प्रति तीसवें मिनिट में किसी एक महिला पर शारीरिक हमला तथा प्रति 102वें मिनिट में दहेज के कारण हत्या।
• देश में लगभग 21 करोड़ स्त्रियां गांवों में रहती हैं, जिसमें ज़्यादातर अशिक्षित तथा अंधविश्वासों की शिकार हैं।

• पति एवं परिवारजनों की बुरी आदतों को बर्दाश्त करना उसकी नियति बन गई है।
• जन्म से लेकर ताउम्र विविध रूपों में पराश्रिता, गरीबी और लाचारी । घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारतीय संविधान महिला की प्रतिष्ठा और विकास के लिये जरूरी विधान की व्याख्या करता है।
• संविधान की धारा 14,15,16 विकास प्रक्रिया में महिला को समान अधिकार प्रदान करती है, कानून के तहत ये धाराएं महिलाओं में बराबरी व रोजगार के समान अवसर प्रदान करती हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 12 से 34 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है जिसमें लिंग, जाति, भाषा, धर्म के लोगों को समान माना गया है।
• महिलाओं की मर्यादा का अपमान करना एक अपराध है जिसके किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अन्तर्गत 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड एक साथ दिये जा सकते हैं।
• 1955 हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू नाबालिक और संरक्षणता अधिनियम, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, स्त्री और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, न्यनतम वेतन अधिनियम ।
• 1961 दहेज निरोधक अधिनियम ।
• 1984 में परिवार न्यायालयों का गठन ।
• 1992 में महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना ।
• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसमें दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–अ में दाण्डित प्रकरण माना जाएगा।

भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति को देखते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी विशेष प्रयास किये हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद् के अंतर्गत 1946 में महिलाओं की स्थिति सुधार संबंधी आयोग स्थापित किया गया। 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। 1979 तथा 1981 में महिलाओं को विशेष अधिकार दिये गये महिलाओं के लिये किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिये समझौते पर 1993 में 126 देशों ने हस्ताक्षर किये। ''सीडा'' महिला अत्याचार उन्मूलन कमेटी बनी, जिसमें महिलाओं को अधिकार तथा सुरक्षा संबंधी 30 अनुच्छेद है। सन् 2001 में महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया। स्पष्ट है, संसार की पूर्ण तरक्की एवं विकास महिलाओं के विकास पर ही निर्भर है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा जहां नारी की अंतरदृष्टि को जागृत करती है, वहीं दूरदृष्टि को विकसित करती है। वह उसे जागरूक तथा आत्मनिर्भर बनाती है। रोजमर्रा के क्रियाकलापों को सुगम और सुविधापूण बनाती है। ''शिक्षा ही नारी को शोषण, अवमानना के क्रियाकलापों की सुगम और सुविधापूर्ण बनाती है। ''शिक्षा ही नारी को शोषण अवमानना, अन्याय, दुराचरण, उत्पीड़न से बचा सकती है। शिक्षित आत्मविश्वासी स्वावलम्बी महिला ही आत्म रक्षा कर सकती है और ससम्मान जी सकती है।'' 3

प्रौद्योगिक क्रांति के इस नये दौर में महिलाओं के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसका सामना सामूहिक प्रयासों से करना होगा, उसे परिवार में बराबर का साझीदार बनाया जाये, इस शाश्वत व नैसर्गिक सत्य को स्वीकार किया जाय कि स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए है, दोनों का मजबूत होना जरूरी हैं। नारी और पुरुष का आकर्षण एक शाश्वत तथा नैसर्गिक सत्य है। इसी आकर्षण के कारण सृष्टि के क्रम का नैरंतर्य है। यह आकर्षण प्रेम को जन्म देता है। पुरुष के जीवन का सत्य है– संघर्ष और स्त्री जीवन का सत्य है– समर्पण। इस शाश्वत सत्य को सही संदर्भ में, सही अर्थ में मानव जाति द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो निश्चित ही महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जा सकता है। यदि धुरी मजबूत है तो परिवार मजबूत होगा। और परिवार मजबूत है तो समाज राष्ट्र व विश्व में शांति, संतोष व सद्गुणों का राज एवं वास होगा तभी धरती पर स्वर्ग का आनंद उठाया जा सकेगा।

वस्तुतः महिला सशक्तीकरण एवं संरक्षण तथा घरेलू हिंसा को रोकने के लिये कानून, अदालतें राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ ही शिक्षा व सामाजिक जागरुकता, सतत् सर्वेक्षण, अत्यंत चिंतन, मनन एवं सृजन आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1.. स्त्री मुक्ति का सपना , संपादक– अरविंद जैन, लीलाधर मण्डलोई, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2004, पृष्ठ 133.
2.. वायलेन्स अगेन्सट वूमेन– डॉ. बेली, कृष्ण प्रकाशन दिल्ली 1998, पृष्ठ 9
3.. राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी– डॉ. एम.ए. अंसारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2005, पृष्ठ 57.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org